भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4147

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रतिबंधित और निषिद्ध दवाओं की बिक्री

4147. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश और विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में कई दवाओं/औषधियों पर प्रतिबंध/निषेध लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कोई सश्रम निरीक्षण अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दवा दुकानों में नियमित निरीक्षण के अभाव में कई दुकानें निषिद्ध अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार के संज्ञान में है कि कुछ अनधिकृत या अयोग्य व्यक्ति दवा की दुकान चला रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): केंद्र सरकार ने देश में ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के तहत जनहित में फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) सहित कई दवाओं के विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से किसी भी औषधि के विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) से (च): ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन नियमों के अंतर्गत औषधियों की बिक्री एवं वितरण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। लाइसेंसधारी को लाइसेंस की सभी शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ऐसे लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा या उसके व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही की जाएगी तथा कोई भी व्यक्ति पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर (आरएमपी) के पर्चे के बिना अनुसूची एच, एच1 और एक्स औषधियों की खुदरा बिक्री नहीं कर सकता है।

प्रतिबंधित/निषिद्ध औषधियों का विनिर्माण, बिक्री और वितरण ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को इस संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिना आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन के खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाएं न बेची जाएं, इस संबंध में सीडीएससीओ द्वारा समय-समय पर राज्य औषधि नियंत्रकों/अन्य हितधारकों को जागरूक किया गया है। ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी राज्य औषधि नियंत्रकों, अन्य हितधारकों को विभिन्न नोटिस/एडवाइजरी/पत्र जारी किए गए हैं।

*****